

# न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक : /2015 दिनांक - २३०८

मुद्रण संख्या २३५५-II-15

क्रमांक २३५५  
दारा आज दिनांक २३०८  
प्रस्तुत  
ग्वालियर मण्डल म.प्र. राजस्व

हरिश्चन्द्र

आवेदक

विरुद्ध

मुद्रण संख्या २३५५  
दिनांक २३०८

हरिश्चन्द्र

अनावेदक

म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत  
निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र।

## माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- 1 यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक २६७४८/११ माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक २६/३/१९५ को नियत था।
- 2 यह कि, नियत दिनांक २६/३/१९५ को आवेदक के अधिवक्ता/अभिभाषक संघ के निर्णय अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था। इस कारण आवेदक नियत दिनांक को २६/३/१९५ को उपस्थित नहीं हो सका और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसकी जानकारी अधिवक्ता को उपरी में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना फलक/बोर्ड पर चर्चा करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।
- 3 यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः रथापित कर गुणा-गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि, आवेदन स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक २६७४८/११ पुनः रथापित कर गुणा-गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान किया जाए।

S-1d

दिनांक

स्थान—ग्वालियर

प्रार्थी

हरिश्चन्द्र — अमी

२३०८

मुद्रण संख्या

**XXXIX (a)BR(H)-11****राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

प्रकरण क्रमांक रेस्टो.2355—दो/15

जिला—सीधी

| स्थान तथा<br>दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश  | पक्षकारों एवं<br>अभिभाषकों आदि<br>के हस्ताक्षर |
|---------------------|---|--|
| 24-7-15             | <p>आवेदक की ओर से श्री एस.के.अवस्थी, अभि. उप.। उन्होंने रेस्टोरेशन<br/>आवेदन प्रस्तुत किया।</p> <p>प्रकरण रेस्टोरेशन आवेदन पर आदेशार्थ।</p>  <p>सदस्य</p>  |  |
| 31-8-15             | <p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार<br/>किया। विचारोपरान्त आवेदक अभि. द्वारा रेस्टोरेशन के संबंध में बताए गए<br/>कारण समाधानकारक होने के कारण मूल प्रकरण क्रमांक अपील<br/>367—पीबीआर/99 पुनः नम्बर पर लिया जाता है। यह प्रकरण दाखिल<br/>रिकार्ड हो।</p>  <p>सदस्य</p> |  |